[2018] 2 उम. नि. प. 129

लतेश उर्फ दादू बाबूराव कार्लेकर

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

तथा

अनिल अंकुश गाडेकर

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

तथा

विष्णु मारुति बुले

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

तथा

विजय उर्फ विजय इस्त्रीवाला रामदुलारी निर्मल

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

तथा

सुनील काशीनाथ चंदनशिवा

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

30 जनवरी, 2018

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति अमिताव राय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 307 और 34 – हत्या और हत्या का प्रयत्न – आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्तों के नामों का उल्लेख न करना – यह स्थिर विधि है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में ऐसे छोटे-छोटे ब्यौरों और दृष्टांतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि अपराध कैसे किया गया था, इसलिए केवल इस कारण कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्तों के नामों का उल्लेख

नहीं है, इसकी अंतर्वस्तुओं पर संदेह करने और अभियोजन के पक्षकथन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302, 307 और 34 – हत्या और हत्या का प्रयत्न – अभियुक्तों की शनाख्त के लिए शनाख्त परेड आयोजित न किया जाना – शनाख्त परीक्षण परेड आयोजित करने की आवश्यकता केवल तब उद्भूत होती है जब अभियुक्त एक-दूसरे के पहले से जानने वाले न हों और जहां अभियुक्त और क्षतिग्रस्त साक्षी पहले से एक-दूसरे को जानते थे, वहां शनाख्त परेड के अभाव में अभियोजन का पक्षकथन दूषित नहीं हो जाएगा ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302, 307 और 34 – हत्या और हत्या का प्रयत्न – दोषसिद्धि – अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं करने पर उनकी दोषसिद्धि को अपास्त करना और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध निश्चायक और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होने पर उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखना उचित होगा ।

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि विट्ठल हिंगेन (अभि. सा. 2) और उसका भाई जगदीश हिंगेन (मृतक) मुलंद स्थित एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के कार्यालय से वापस आ रहे थे तो रास्ते में छह व्यक्ति अर्थात् अभियुक्त सं. 1 (सुनील चंदनशिवा), अभियुक्त सं. 2 (विजय निर्मल), अभियुक्त सं. 3 (लतेश कार्लेकर), अभियुक्त सं. 4 (संदीप भोसले) अभियुक्त सं. 5 (विष्णु बुले) और अभियुक्त सं. 6 (अनिल गाडेकर) विपरीत दिशा से उनके सामने आए, जो छुरी, तलवार, दरांती और लाठी जैसे विभिन्न आयुधों से लैस थे और किसी पुरानी दुश्मनी के कारण मृतक और क्षतिग्रस्त पर हमला किया । क्षतिग्रस्त और मृतक की चिल्लाने की आवाज सुनकर गश्त ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मी (अभि. सा. 11, पुलिस नायक, दयानेश्वर लाडसे) और पुलिस नायक, घनश्याम पवार (जिसकी परीक्षा नहीं की गई), उनकी सहायता के लिए दौड़े । अभियुक्त सं. 1 को अभिकथित रूप से, उसके हाथ में रक्तरंजित छुरी के साथ, रंगे हाथों पकड़ लिया गया, किंतु अन्य अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल से भागने में सफल रहे । क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया । जगदीश हिंगेन की उसे पहुंची क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । मृतक ने कथित रूप से उक्त अभि. सा. 11 को चार हमलावारों, सुनील काशीनाथ

चंदनशिवा (अभियुक्त सं. 1), अनिल गाडेकर (अभियुक्त सं. 6), विष्णु बुले (अभियुक्त सं. 5) और संदीप भोसले (अभियुक्त सं. 4) के नाम बताए थे और अभि. सा. 11 ने उन्हें अपनी मामला डायरी में अभिलिखित किया था । क्षतिग्रस्त (अभि. सा. 2) के कथन के आधार पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आपराधिक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के लिए न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया । सभी अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 147, 148, 149 के साथ पठित धारा 302 और 307 तथा आयुध अधिनियम तथा बम्बई पुलिस अधिनियम के अधीन दोषी पाए जाने पर दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्तों ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्तों की अपील भागतः मंजूर की और सभी अभियुक्तों की भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 147, 148 के दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि अपास्त कर दी । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1, 2 और 3 की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को तथा अभियुक्त सं. 2 से 6 की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को संपरिवर्तित कर दिया । उच्च न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर सभी अभियुक्तों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत लेकर अपीलें फाइल की । तथापि, संदीप भोसले अर्थात् अभियुक्त सं. 4 द्वारा फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका इस न्यायालय की एक अन्य न्यायपीठ द्वारा खारिज कर दी गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्तों की ओर से विनिर्दिष्ट रूप से यह दलील दी गई है कि अभि. सा. 2 ने प्रारंभिक कथन में विनिर्दिष्ट रूप से अभियुक्तों के नाम प्रकटित नहीं किए थे और न ही अभियुक्तों की अलग-अलग भूमिका का उल्लेख किया था, जबकि अभि. सा. 2 का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त एक-दूसरे की जान-पहचान वाले हैं । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 ने अभियुक्तों के नाम का प्रकटन घटना के कुछ दिनों के पश्चात्

एक अनुपूरक कथन द्वारा अभियुक्तों को पूर्व दुश्मनी के कारण फंसाने के आशय से किया था । इस तथ्य के विषय में कोई विवाद नहीं है कि अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन अभि. सा. 2 और अभि. सा. 11 के साक्ष्य पर निर्भर करता है, जो कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । स्वीकृततः, अभि. सा. 2 के कथन के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी और उसने प्रारंभ में अभियुक्तों के नाम प्रकटित नहीं किए थे । उसने बाद में एक अनुपूरक कथन में घटना के ब्यौरों का वर्णन किया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का महत्व प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है । जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी को कोई कथन करता है, तो उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जाती है । बातों को दोहराने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग होती है । कुछ लोगों में बातों को हू-ब-हू दोहराने का सामर्थ्य हो सकता है, कुछ में ऐसा करने के सामर्थ्य की कमी हो सकती है । कभी-कभी सदमे की दशा में, वे महत्वपूर्ण ब्यौरों को बताने में चूक कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का जब किसी हिसांत्मक कृत्य से सामना होता है तो भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रवृत्त होते हैं । केवल इस कारण कि अभियुक्तों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उनके नाम विनिर्दिष्ट नहीं हैं, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है और इस आधार पर अभियोजन के पक्षकथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । किसी का भी यह पक्षकथन नहीं है कि अभि. सा. 2 क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था और हमलावरों द्वारा कारित क्षतियों के कारण कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था और उसने अपने भाई को भी खो दिया था । यह अत्यधिक अधिसंभाव्यता है कि उसने शिकायत रजिस्ट्रीकृत करने के प्रयोजन के लिए एक साधारण कथन किया होगा, जिसे पुलिस द्वारा घटना घटने के कुछ घंटों के पश्चात् ही अभिलिखित किया गया था । बाद में, जब एक बार वह सदमे से बाहर आ गया, तो उसका अनुपूरक कथन अभिलिखित किया गया था और तब उसने अभियुक्तों के नाम प्रकट किए थे और प्रत्येक अभियुक्त को उसके प्रत्यक्ष-कृत्य से संबद्ध किया था । यह स्थिर विधि है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को एक विश्वकोष होने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें उन छोटे-छोटे ब्यौरों और दृष्टांतों को प्रस्तुत किया जाए कि अपराध कैसे किया गया था । इसलिए, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए यह न्यायालय अभियुक्तों की ओर से दी गई दलील में बल नहीं पाता है और इसे दोनों न्यायालयों द्वारा ठीक ही नामंजूर किया गया है । (पैरा 31, 32 और 33)

अभियुक्तों की ओर से विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कोई शनाख्त परीक्षण परेड नहीं की गई थी और अभि. सा. 2 ने पहली बार न्यायालय में अभियुक्तों की शनाख्त की थी और यह बात अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है । अभि. सा. 2 के साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त उसकी जान-पहचान के हैं और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् अभि. सा. 11 ने कभी यह कथन नहीं किया कि उसने हमलावरों के चेहरे देखे थे । शनाख्त परीक्षण परेड आयोजित करने की आवश्यकता केवल तब उद्भूत होती है जब अभियुक्त एक-दूसरे के पहले से जानने वाले न हों । शनाख्त परीक्षण परेड एक सारभूत साक्ष्य नहीं है, अपितु अन्य साक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए उपयोगी होती है । यह एक प्रज्ञा का नियम है । शनाख्त परीक्षण परेड को, भले ही आयोजित किया गया हो, सभी मामलों में ऐसे विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जा सकता है, जिसके आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सके । प्रस्तुत मामले में, शनाख्त परीक्षण परेड के अभाव में अभियोजन का पक्षकथन दूषित नहीं हो जाएगा क्योंकि अभियुक्त और अभि. सा. 2 एक-दूसरे को जानते थे । (पैरा 34)

अभियोजन का पक्षकथन यह है कि मृतक ने सुनील काशीनाथ चंदनशिवा (अभि.-1), अनिल गाडेकर (अभि.-6), विष्णु बुले (अभि.-5) और संदीप भोसले (अभि.-4) के नाम हमलावरों के रूप में लेते हुए अभि. सा. 11 को कथन किया था । इस विशिष्ट कथन को अभियोजन साक्ष्य का भाग नहीं बनाया गया था । यहां तक कि अभि. सा. 11 को किए गए उसके कथन में अभियुक्त सं. 2 और 3 के नाम का भी उल्लेख नहीं है । राज्य द्वारा यह आक्षेप किया गया है कि न्यायालय को ऐसे साक्ष्य को विचार में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसे कथन का विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है । यह न्यायालय इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता है कि इस दस्तावेज को स्पष्ट तौर पर छिपाया गया है क्योंकि राज्य वह कारण स्पष्ट करने में असफल रहा है कि क्यों ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका था । यद्यपि मामला डायरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं गई थी, किंतु ऐसा दस्तावेज विद्यमान होने की संभाव्यता का समर्थन अभि. सा. 11 के साक्ष्य द्वारा किया गया है, जिससे इस न्यायालय के मस्तिष्क में अभियुक्त सं. 2 और 3 को फंसाने के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है । अभि. सा. 11 के साक्ष्य, मृतक के कथन, इस तथ्य को, कि अभियुक्त सं. 2 और 3 से आयुध बरामद नहीं हुए थे और इन अभियुक्तों के वस्त्रों पर कोई रक्त के धब्बे नहीं पाए गए

थे और साथ-ही-साथ घटना के तुरंत पश्चात् अभियुक्त सं. 2 और 3 की गिरफ्तारी और उनकी पुलिस थाने में मौजूदगी, को ध्यान में रखते हुए इन अभियुक्तों की अंतर्ग्रस्तता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है । अभियुक्त सं. 3 का यह भी पक्षकथन है कि अभि. सा. 2 को पूर्व में एक मामले में उनके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया गया था । मृतक ने पुलिस को कथन किया था और उक्त कथन को किन कारणों से अभियोजन के साक्ष्य का भाग नहीं बनाया गया, इसकी सर्वोत्तम जानकारी उन्हीं को है । मृतक ने उक्त कथन में अभियुक्त सं. 2 और 3 के नाम नहीं लिए थे, दूसरी बात यह कि अभि. सा. 2 ने अनुपूरक कथन में उनके नाम बताए थे, किंतु उसने उनके द्वारा प्रयुक्त किसी आयुध के साथ विनिर्दिष्ट रूप से उन्हें संबद्ध नहीं किया है । अभि. सा. 11 ने अभियुक्त सं. 2 और 3 को किसी स्पष्ट-कृत्य के लिए भी उत्तरदायी नहीं ठहराया है । अन्वेषण के दौरान, अभि. सा. 2 और 3 के वस्त्रों को विशेषज्ञ की राय के लिए भेजा गया था और इससे यह प्रकट हुआ कि वस्त्रों पर रक्त के कोई धब्बे नहीं थे । उनसे कोई आयुध बरामद नहीं किया गया था । अभि. सा. 2 के मौखिक साक्ष्य के सिवाय अभियुक्त सं. 2 और 3 को अपराध से जोड़ने के लिए अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है । स्वतंत्र संपुष्टि के बिना अभि. सा. 2 के मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है । दोनों न्यायालयों ने किसी ऐसे साक्ष्य के बिना, जो इन अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे इंगित करता हो, इन्हें दोषी ठहराकर गलत किया है । अभियोजन पक्ष को अभियुक्त की दोषिता को सभी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना चाहिए । अभियुक्त का यह परम अधिकार है कि उसे ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया जाए, जिसे युक्तियुक्त संदेह के परे वाले सबूत के साक्ष्यिक मानदंड द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । विधि अभियुक्त को संदेह या अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर दोषसिद्ध करने के लिए अनुज्ञा नहीं देती है । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त सं. 2 और 3 के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने मे असफल रहा है । (पैरा 36, 37, 40 और 42)

अभियुक्त सं. 1 छुरी (धारदार आयुध) सहित रंगे-हाथों पकड़ा गया था, जिसकी संपुष्टि गिरफ्तारी, आयुधों और वस्त्रों की बरामदगी के पंच साक्षी अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य के साथ-साथ विशेषज्ञ साक्ष्य से भी होती है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने निश्चयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त सं. 1 की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे

सफलतापूर्वक साबित किया है । अभियुक्त सं. 5 और 6 की अंतर्ग्रस्तता पर आते हैं । वे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा मृतक द्वारा किए गए अभिकथित मौखिक मृत्युकालिक कथन में नामित हैं । आयुधों की बरामदगी से भी इनके मामले का समर्थन होता है और अभियोजन साक्षियों के कथन संगत हैं, जो अभियुक्तों की दोषिता को इंगित करते हैं । इन अभियुक्तों की ओर से काउंसेलों ने यह निवेदन करने की कोशिश की कि अभि. सा. 2 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसके कथन और न्यायालय के समक्ष उसके साक्ष्य में विरोधाभास हैं । उन्होंने यह निवेदन किया कि अभि. सा. 2 ने घटना के दिन अभियुक्तों की अलग-अलग भूमिका का उल्लेख नहीं किया था । डाक्टर के साक्ष्य और मृतक को पहुंची क्षतियों से स्पष्ट तौर पर अभियुक्त सं. 5 और 6 की दोषिता सिद्ध होती है तथा मात्र किसी अभियुक्त के विशिष्ट स्पष्ट-कृत्य का उल्लेख न करना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा । प्रत्येक दांडिक विचारण में, घटना की तारीख और न्यायालय के समक्ष साक्षियों के अभिसाक्ष्यों के बीच लंबी अवधि बीतने के कारण, प्रसामान्यतः, फर्कों का आना लाजिमी है । जब विरोधाभास बहुत गंभीर हों और कथन की सत्यता के बारे में न्यायालय के मस्तिष्क में संदेह पैदा करते हों, तब ऐसे साक्ष्य का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है । इस न्यायालय का यह विचार है कि इस मामले से संबंधित साक्ष्य में विरोधाभास बहुत ही तुच्छ प्रकृति के हैं और इनसे अभियोजन के पक्षकथन पर असर नहीं पड़ेगा । अंत में, अभियुक्त सं. 1 की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल ने यह दलील दी कि घनश्याम पवार की परीक्षा न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है । न्यायालय इस दलील से सहमत नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष को किसी साक्षी को अपनी प्रज्ञा के आधार पर पेश करने का विवेकाधिकार है । इस मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियुक्त सं. 1 की गिरफ्तारी और आयुध के अभिग्रहण के तथ्य को अभि. सा. 11 द्वारा और अभिलेख के अन्य साक्ष्य से निश्चायक रूप से सिद्ध किया गया है । इसलिए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि पूर्वोक्त दलील भी गुणता-रहित है । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस बात से सहमत है कि अभियुक्त सं. 2 और 3 के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं किया गया है, जबकि यह बात अन्य अभियुक्तों की बाबत नहीं कही जा सकती है, जिनकी भूमिकाएं अभिलेख पर उपलब्ध निश्चयात्मक साक्ष्य से साबित की गई हैं । (पैरा 44, 46 और 47)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 5 एस. सी. सी. 724 : **काथी भरत वाजसुर और एक अन्य** बनाम **गुजरात राज्य** ;	43
[2011]	(2011) 9 एस. सी. सी. 698 : **राकेश और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	43
[2009]	(2009) 13 एस. सी. सी. 542 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **हरि चंद** ।	43

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 1301 और इसके साथ 2016 की दांडिक अपील सं. 165, 141, 91 और 94.

2009 की दांडिक अपील सं. 221 में बम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 23 मार्च, 2015 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री रविन्द्र केशवराव अदसुरे, प्रदीप गुप्ता, प्रणव गुप्ता, (श्रीमती) मानसी गुप्ता, मौज़म अली, डा. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, के. परमेश्वर और मैसर्स एस. एम. जाधव एंड कंपनी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने दिया ।

न्या. रमना – ये पांच अपीलें, पांच अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा, विशेष इजाजत याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई हैं, जिनमें इस न्यायालय द्वारा इन अभियुक्तों को अपील करने की इजाजत दी गई है । इन सभी अपीलों के तथ्य संबद्ध होने और इनमें अंतर्वलित विवाद्यक संयुक्त होने के कारण हम इन मामलों पर एक सामान्य निर्णय द्वारा विचार करना चाहेंगे ।

2. प्रारंभ में, यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपीलों को भागतः मंजूर किया

है और भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 147 और 148 आयुध अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 4 और बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के साथ पठित धारा 37(1)(क) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए उनके दंडादेश अपास्त कर दिए हैं । अपीलार्थी सं. 1 से 3 की भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को, विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए गए दंडादेश को कायम रखते हुए, उपांतरित किया गया है ।

3. कुछ तथ्य, जो इन मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक हैं, ये हैं कि तारीख 10 दिसंबर, 2006 को 10.20 बजे अपराह्न से 10.30 बजे अपराह्न के बीच विट्ठल हिंगेन (अभि. सा. 2) और उसका भाई जगदीश हिंगेन (मृतक) मुलंद स्थित एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तम गीते नामक व्यक्ति के कार्यालय से वापस आ रहे थे । जब वे सेंट पायस लेन पहुंचे तो छह व्यक्ति अर्थात् अभियुक्त सं. 1 (सुनील चंदनशिवा), अभियुक्त सं. 2 (विजय निर्मल), अभियुक्त सं. 3 (लतेश कार्लेकर), अभियुक्त सं. 4 (संदीप भोसले) अभियुक्त सं. 5 (विष्णु बुले) और अभियुक्त सं. 6 (अनिल गाडेकर) विपरीत दिशा से उनके सामने आए । अभियुक्तों ने, जो छुरी, तलवार, दरांती और लाठी जैसे विभिन्न आयुधों से लैस थे, किसी पुरानी दुश्मनी के कारण जगदीश हिंगेन (मृतक) और क्षतिग्रस्त विट्ठल हिंगेन (अभि. सा. 2) पर हमला किया । क्षतिग्रस्त और मृतक की चिल्लाने की आवाज सुनकर अभि. सा. 11 (पुलिस नायक, दयानेश्वर लाडसे) और पुलिस नायक घनश्याम पवार (जिसकी परीक्षा नहीं की गई है), जो गश्त ड्यूटी पर थे, उनकी सहायता के लिए दौड़े । यह अभिकथित है कि अभियुक्त सं. 1 को उसके हाथ में रक्तरंजित छुरी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया, किंतु अन्य अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल से भागने में सफल रहे । एक स्वतंत्र साक्षी, अभि. सा. 16 (किशोर पोतदार) भी, जो उसी सड़क से गुजर रहा था, चिल्लाने की आवाज सुनकर अभि. सा. 11 की सहायता के लिए आया । क्षतिग्रस्त (अभि. सा. 2) को एक आटो-रिक्शा में मुलंद सामान्य अस्पताल ले जाया गया जबकि अभि. सा. 11 अभियुक्त सं. 1 को, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया था, एक मारुति कार में उक्त आटो-रिक्शा के पीछे-पीछे उपर्युक्त अस्पताल लेकर गया । रास्ते में उनकी मुलाकात अभि. सा. 15 (जगदीश श्रीधर शेट्टी) से हुई, जिसने क्षतिग्रस्त की शनाख्त की और उनके साथ मुलंद सामान्य अस्पताल गया ।

4. अस्पताल पहुंचने पर अभि. सा. 11 ने अभियुक्त सं. 1 की अभिरक्षा, उसकी रक्तरंजित छुरी सहित, घनश्याम पवार को उसे मुलंद पुलिस थाने ले जाने के लिए सौंप दी । एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभि. सा. 11 सारे समय क्षतिग्रस्त के साथ अस्पताल में रुका रहा । यह अभिकथित है कि मृतक ने कथित रूप से अभि. सा. 11 को चार हमलावरों, सुनील काशीनाथ चंदनशिवा (अभियुक्त सं. 1), अनिल गाडेकर (अभियुक्त सं. 6), विष्णु बुले (अभियुक्त सं. 5) और संदीप भोसले (अभियुक्त सं. 4) के नाम प्रकट किए और अभि. सा. 11 ने उन्हें अपनी मामला डायरी में अभिलिखित किया ।

5. इसी बीच, अभि. सा. 11 और घनश्याम पवार से घटना की सूचना प्राप्त होने पर मुलंद पुलिस थाने के दो पुलिस कार्मिक (अभि. सा. 24 और अभि. सा. 25) मुलंद सामान्य अस्पताल आए, जहां उन्हें जानकारी मिली की जगदीश हिंगेन की उसे पहुंची क्षतियों के कारण लगभग 11.23 बजे अपराह्न में मृत्यु हो गई है और अन्य क्षतिग्रस्त (विट्ठल हिंगेन) को अतिरिक्त उपचार के लिए सियोन अस्पताल ले जाया गया है । अभि. सा. 24 ने अभि. सा. 23 (डा. अनिरुद्ध गोखले) की अनुज्ञा से क्षतिग्रस्त-अभि. सा. 2 का लगभग 12.15 बजे पूर्वाह्न में कथन अभिलिखित किया और उक्त कथन के आधार पर अभि. सा. 24 (पुलिस उप निरीक्षक जोशी) ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध 2006 का अपराध मामला सं. 595 रजिस्ट्रीकृत किया ।

6. इसी बीच, अभि. सा. 24 ने क्षतिग्रस्त अभि. सा. 2 (विट्ठल हिंगेन) के रक्तरंजित वस्त्र पंचनामा (प्रदर्श 27) के अधीन अभिगृहीत किए । उसके पश्चात्, अभि. सा. 24, अभि. सा. 25 (पुलिस उप निरीक्षक माणे) और अभि. सा. 11 के साथ घटनास्थल पर गया और पंच साक्षी (अभि. सा. 4) की मौजूदगी में स्थल पंचनामा (प्रदर्श 29) तैयार किया, रक्त से सनी किचड़ अभिगृहीत की और घटनास्थल के फोटो लिए गए । इसके पश्चात् अभि. सा. 24 पुलिस थाने वापस आया और थाना डायरी में प्रविष्टि की तथा मुद्दामल मालखाने में जमा किया । दूसरी ओर, उसी रात्रि में लगभग 1.00 बजे पूर्वाह्न में अभि. सा. 22 (पुलिस उप निरीक्षक श्रीकांत रामदास) ने पंच साक्षी, अभि. सा. 10 (राजू जाधव) की मौजूदगी में पंचनामा (प्रदर्श 46) के अधीन अभियुक्त सं. 1 की छुरी और रक्तरंजित वस्त्र अभिगृहीत किए । अभियुक्त सं. 2 और 3 को भी घटना की उसी रात्रि में गिरफ्तार किया गया । अभि. सा. 24 द्वारा पंच साक्षी, अभि. सा. 7

(प्रदीप शिरोडकर) की मौजूदगी में पंचनामा (प्रदर्श 34) के अधीन उनके वस्त्र अभिगृहीत किए । लगभग 6.15 बजे पूर्वाह्न में मृतक के शव को राजावाड़ी अस्पताल के मरणोत्तर परीक्षा केंद्र पर लाया गया और परीक्षण करने पर मृतक को 27 क्षतियां पहुंची हुई पाई गईं ।

7. ऐसी स्थिति में, तारीख 13 दिसंबर, 2006 को पंच साक्षी, अभि. सा. 6 (गोपाल नायडु) की मौजूदगी में अभियुक्त सं. 4 से रक्तरंजित वस्त्र अभिगृहीत किए गए । तारीख 14 दिसंबर, 2006 को अभियुक्त सं. 5 और 6 गिरफ्तार किए गए और अभि. सा. 6 की मौजूदगी में उनके रक्त- रंजित वस्त्र अभिगृहीत किए गए । अभियुक्त सं. 5 और 6 से पंच साक्षी, अभि. सा. 8 की मौजूदगी में क्रमशः दरांती और तलवार (प्रदर्श 40) बरामद किए गए । तारीख 19 दिसंबर, 2006 को अभि. सा. 2 का अनुपूरक कथन अभिलिखित किया गया ।

8. अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के लिए न्यायालय में निम्नलिखित रीति में आरोप पत्र फाइल किया गया :–

> "अभिकथित अपराध के सभी अभियुक्त व्यक्ति तारीख 20 दिसंबर, 2006 से अभी भी मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में हैं । उनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, इस अपराध में अन्वेषण के पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख और भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 35 हटा दी गई हैं और भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 4, 25 और 27 तथा बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(क) और 135 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 147, 148, 149, 302 और 307 के अधीन आरोप पत्र तैयार है ।"

9. सेशन न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध निम्नलिखित रीति में आरोप विरचित किए :–

> "**पहला** – तारीख 10 दिसंबर, 2006 को लगभग 22:20 से 22:30 बजे गौशाला रोड, सेंट पायस रोड, मदन मोहन मालवीय क्रास रोड, मुलंद (पश्चिम) मुम्बई- 400080 से 'मध्य गली' पर, आप अभियुक्त विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे, जिसका सामान्य उद्देश्य शिकायतकर्ता विट्ठल हिंगेन और उसके भाई जगदीश हिंगेन की हत्या कारित करना था और तद्द्वारा द्वारा भारतीय दंड संहिता की

धारा 143 के अधीन दंडनीय अपराध किया था और जो मेरे संज्ञान में है ।

दूसरा – उसी तारीख समय और स्थान पर आप अभियुक्त घातक आयुध छुरी, दरांती और तलवार से लैस होकर विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया था और जो मेरे संज्ञान में है ।

तीसरा – उसी तारीख समय और स्थान पर आप अभियुक्त विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अर्थात् शिकायतकर्ता विटठ्ल नारायण हिंगेन और उसके भाई जगदीश हिंगेन की छुरी, दरांती, तलवार और चाकू द्वारा हत्या करने के लिए जमाव के सदस्य थे और आप उस अपराध को उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए कारित किया जाना संभाव्यतः जानते थे और आप उस अपराध को कारित करने के समय ऐसे जमाव के सदस्य थे और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध के दोषी हैं और जो मेरे संज्ञान में है ।

चौथा – उसी तारीख समय और स्थान पर आप अभियुक्त विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और उस समय पर घातक आयुधों से लैस थे और जो अपराध के आयुध के रूप मे प्रयुक्त किए गए थे और शिकायतकर्ता के भाई की मृत्यु कारित करना संभाव्य थी और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया और जो मेरे संज्ञान में है ।

पांचवां – उसी तारीख समय और स्थान पर आप अभियुक्त विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे, आप को अपने सामान्य उद्देश्य अर्थात् शिकायतकर्ता विटठ्ल नारायण हिंगेन और उसके भाई जगदीश हिंगेन की तलवार और चाकू द्वारा हत्या करने के लिए अभियोजित किए जा रहे हैं और आप उक्त अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए कारित किया जाना संभाव्यतः जानते थे और उस अपराध के कारित करने के समय पर ऐसे जमाव के सदस्य थे और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध के दोषी हैं और जो मेरे संज्ञान में है ।

छठा – उसी तारीख समय और स्थान पर आप अभियुक्त

विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे, और आपने शिकायतकर्ता के भाई जगदीश हिंगेन की छुरी, दरांती, तलवार और चाकू द्वारा साशय या मृत्यु कारित होना जानते हुए हत्या कारित की और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया और जो मेरे संज्ञान में है ।

सातवां – उसी तारीख समय और स्थान पर आप अभियुक्त विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और आप अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता विट्ठल नारायण हिंगेन पर छुरी, दरांती, तलवार और चाकू द्वारा उसके उदर, माथे और शरीर के अन्य भाग पर ऐसे आशय और ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में कृत्य अर्थात् हमला किया कि यदि उस कृत्य द्वारा आपने शिकायतकर्ता की मृत्यु कारित की होती तो आप हत्या के दोषी होते और यह कि आपने धारा 149 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया और जो मेरे संज्ञान में है ।

आठवां – उसी तारीख समय और स्थान पर आप अभियुक्तों के कब्जे में घातक आयुध अर्थात् छुरी, दरांती, तलवार और चाकू अनुज्ञप्ति/प्राधिकार के बिना प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में पाए गए थे और आपने तद्द्वारा भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 4, 25 और 27 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया और जो मेरे संज्ञान में है ।

नौंवा – उसी तारीख समय और स्थान पर आप अभियुक्तों के कब्जे में घातक आयुध अर्थात् छुरी, दरांती, तलवार और चाकू अनुज्ञप्ति/प्राधिकार के बिना प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में पाए गए थे और आपने तद्द्वारा बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के साथ पठित धारा 37(1) के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया और जो मेरे संज्ञान में है ।"

10. सभी अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान कुल 25 साक्षियों की परीक्षा की । यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अभियोजन पक्ष ने उस मामला डायरी को चिह्नित नहीं किया है जिसमें अभि. सा. 11 द्वारा अभियुक्तों के नाम के अभिकथित प्रकटीकरण को अभिलिखित किया गया था ।

11. विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को अपराध कारित करने का दोषी पाए जाने पर उनको दंडनीय अपराधों के लिए निम्नलिखित रीति में दोषसिद्ध किया :–

अभियुक्त	धारा	आरोप और दोषसिद्धि
अभि.-1, अभि.-2 अभि.-3 अभि.-4 अभि.-5 अभि.-6	भारतीय दंड संहिता की धारा 143	छह माह का कठोर कारावास और 200/-रुपए का जुर्माना और जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर एक माह का कठोर कारावास भुगतेंगे ।
अभि.-1, अभि.-2 अभि.-3 अभि.-4 अभि.-5 अभि.-6	भारतीय दंड संहिता की धारा 144	एक वर्ष का कठोर कारावास और 300/-रुपए का जुर्माना और जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर एक माह का कठोर कारावास भुगतेंगे।
अभि.-1, अभि.-2 अभि.-3 अभि.-4 अभि.-5 अभि.-6	भारतीय दंड संहिता की धारा 148	दो वर्ष का कठोर कारावास और 500/-रुपए का जुर्माना और जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर दो माह का कठोर कारावास भुगतेंगे ।
अभि.-1, अभि.-2 अभि.-3 अभि.-4 अभि.-5 अभि.-6	बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के साथ पठित धारा 37(1)(क)	छह माह का कठोर कारावास और 200/-रुपए का जुर्माना और जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर एक माह का कठोर कारावास भुगतेंगे।
अभि.-1, अभि.-2 अभि.-3 अभि.-4 अभि.-5 अभि.-6	आयुध अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 4	एक वर्ष का कठोर कारावास और 200/-रुपए का जुर्माना और जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर एक माह का कठोर कारावास भुगतेंगे ।
अभि.-1, अभि.-2 अभि.-3	भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302	प्रत्येक आजीवन कारावास भुगतेगा और 1,000/-रुपए के जुर्माने का संदाय करेगा और व्यक्तिक्रम करने पर छह माह का कठोर कारावास भुगतेगा ।
अभि.-4 अभि.-5 अभि.-6	भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 307	दस वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/-रुपए का जुर्माना और जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर छह माह का कठोर कारावास भुगतेंगे ।

विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए

निम्नलिखित कारण दिए हैं :–

(क) शनाख्त परीक्षण परेड आवश्यक नहीं थी क्योंकि अभि. सा. 2 और मृतक अभियुक्तों को जानते थे ।

(ख) आयुधों और वस्त्रों की बरामदगी संदेहास्पद परिस्थिति में नहीं की गई है ।

(ग) अभि. सा. 11 द्वारा अभिलिखित अभिकथित मृत्युकालिक कथन को प्रस्तुत न करना घातक नहीं है ।

(घ) अभि. सा. 2 और अभि. सा. 11 के साक्ष्य पर जोर विश्वसनीय और स्वाभाविक होने के कारण दिया गया है । कतिपय विरोधाभासों को छुट-पुट विसंगतियां का नाम दिया गया है जो मामले की तह तक नहीं जाते हैं और यह अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के मौखिक साक्ष्य की संपुष्टि अन्य साक्ष्य द्वारा होती है ।

12. अभियुक्तों ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्तों की अपील भागतः मंजूर की और सभी अभियुक्तों की भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 147 और 148 के दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि अपास्त कर दी । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1, 2 और 3 की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को तथा अभियुक्त सं. 2 से 6 की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को संपरिवर्तित कर दिया ।

13. उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए निम्नलिखित आधारों पर जोर दिया है :–

(क) अलग-अलग अभियुक्त की विनिर्दिष्ट भूमिका और उनके द्वारा लिए गए आयुधों को उनसे संबद्ध न करने की बात हानिकर नहीं है क्योंकि कथन ऐसी दशा में किया गया था जिसमें अभि. सा. 2 को गंभीर क्षतियां पहुंची हुई थीं और सदमे में था ।

(ख) अभि. सा. 2 और अभि. सा. 11 के साक्ष्य की अभि. सा. 15 द्वारा इस सीमा तक संपुष्टि की गई है कि क्षतिग्रस्त और मृतक

उत्तम गीते के कार्यालय से लौट रहे थे ।

(ग) हालांकि रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्टों को विचार में नहीं लिया गया था, तो भी इस बात से अभियोजन के पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी-अभि. सा. 2 का मजबूत और विश्वासप्रद साक्ष्य है, जिसका पूरी तरह से समर्थन और संपुष्टि एक अन्य स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी-अभि. सा. 11 के साक्ष्य और अभिलेख पर के चिकित्सीय साक्ष्य से होती है ।

(घ) अभियुक्त सं. 1 से चाकू की बरामदगी के संबंध में अभि. सा. 10 (राजू जाधव) के कथन और पंचनामा (प्रदर्श 46) के बीच विसंगति अतात्विक और छुट-पुट है ।

(ङ) विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर विभिन्न अभियुक्तों से संबद्ध स्पष्ट-कृत्यों को प्रभेदनीय करने का दृष्टिकोण अपनाकर गलती की है ।

14. उच्च न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर सभी अभियुक्तों ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत याचिकाएं फाइल कीं । तथापि, संदीप भोसले अर्थात् अभियुक्त सं. 4 द्वारा फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका (2015 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 6713) इस न्यायालय की एक अन्य न्यायपीठ द्वारा अपने तारीख 7 सितंबर, 2015 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी । अब हमारा सरोकार अन्य अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपीलों से है ।

15. अभियुक्त सं. 1 और 2 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री के. परमेश्वर ने निम्नलिखित निवेदन किए :–

(i) अभिकथित पूर्ववर्ती दांडिक मुकदमेबाजी का हेतु एक दुधारी तलवार के रूप में कार्य करता है, जिस पर विचार नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा, जब दोनों पक्षकारों की उस इलाके में विरोधी राजनैतिक दलों के रूप में अपनी पहचान है, इसलिए हेतु किसी भी दशा में आवश्यक नहीं है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

(ii) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर्याप्त विलंब से फाइल की गई थी और मृतक द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कथन की बजाय अभि. सा. 2 के

पूरक कथनों पर आधारित है । इसके अतिरिक्त, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़कर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में बाद में किए गए पश्चात्वर्ती परिवर्तन अभियोजन पक्ष के लिए घातक हैं ।

(iii) मृत्युकालिक कथन, जो अभि. सा. 11 के समक्ष किया गया है, उसे अभियोजन साक्ष्य का भाग नहीं बनाया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए इस लोप का उसके द्वारा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसे आचरण से युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है ।

(iv) यदि यह धारणा कर भी ली जाए कि अभिकथित मृत्युकालिक कथन सत्य है, और तो भी अभियुक्त सं. 2 और 3 के नाम मृतक द्वारा की गई घोषणा में प्रकटित नहीं किए गए हैं । इस तथ्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त सं. 2 और 3 का पश्चात्वर्ती समावेशन तात्विक परिवर्तन हैं जिससे संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन अविश्वसनीय हो जाता है ।

(v) आयुध अभियुक्त सं. 1, 5 और 6 से बरामद किए गए थे, जबकि अभियुक्त सं. 2 और 3 को हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और अभियुक्त सं. 5 और 6 को हत्या करने के प्रयत्न के लिए केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के लिए दोषसिद्ध किया गया है ।

(vi) अभियुक्त सं. 2 और 3 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत होने से पहले ही अभिरक्षा में ले लिए गए थे । इस तथ्य से घटना की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और न्यायालय को पूर्वोक्त अभियुक्तों की दोषिता पर विचार करते समय इस परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि उन्हें मिथ्या फंसाने की संभाव्यता है ।

(vii) अभि. सा. 2 द्वारा दी गई अभिकथित शिकायत इस तथ्य से अविश्वसनीय हो जाती है कि जिस डाक्टर ने अभि. सा. 2 का उपचार किया था, उसे यह बात स्मरण नहीं थी कि अभि. सा. 2 ने अपनी शिकायत में अभियुक्तों के नामों को प्रकट किया था या नहीं ।

(viii) अभि. सा. 2 ने स्वयं अपने कथनों का खंडन किया है, कि उसने शिकायत में कभी अभियुक्तों के नाम प्रकट नहीं किए थे,

बल्कि नाम सर्वप्रथम तारीख 19 दिसंबर, 2006 को प्रकट किए गए थे । इस विरोधाभास से अभियोजन के पक्षकथन पर स्पष्ट रूप से अंतिम आघात पहुंचता है ।

(ix) अभि. सा. 15 और अभि. सा. 16 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है और इस बात पर विचार किए जाने की आवश्यता है ।

(x) घनश्याम पवार, जो कथित रूप से घटना के समय तथा अस्पताल में मौजूद था, वह अभियोजन के पक्षकथन का भाग नहीं है ।

(xi) आयुधों का अभिग्रहण संदेहास्पद परिस्थितियों में किया गया है ।

(xii) रक्तरंजित आयुधों के रासायनिक विश्लेषण परीक्षण को अभियुक्तों के समक्ष नहीं रखा गया था । इसलिए न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

16. हमने अभियुक्त सं. 3 की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री प्रदीप गुप्ता और अभियुक्त सं. 5 और 6 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल आनंद लांडजी को भी सुना । उन्होंने यह दलील दी कि :–

(i) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कथित रूप से मृतक द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी, न कि मृतक के भाई द्वारा किए गए अनुपूरक कथन के आधार पर ।

(ii) अभिगृहीत आयुधों से अंगुली की कोई छाप एकत्रित नहीं की गई थीं ।

(iii) अभियुक्त सं. 5 और 6 की शनाख्त परीक्षण परेड में शनाख्त नहीं की गई थी ।

(iv) अभि. सा. 2 के साक्ष्य से अभियुक्त व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट भूमिका या उनके द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट हमले की पहचान नहीं होती है ।

17. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री निशांत रमाकांतराव कटनेशवरकर ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए यह कहा कि मामले में केवल छुट-पुट विरोधाभास हैं जो मामले के लिए तात्विक नहीं हैं और ये विरोधाभास घटना के देर रात्रि में घटने के कारण आ सकते हैं । इसके अतिरिक्त, विद्वान् काउंसेल ने यह कहा कि शनाख्त परीक्षण

परेड की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मृतक तथा अभि. सा. 2 अभियुक्तों को जानते थे । इसके अलावा, अभि. सा. 2 के साक्ष्य को यदि समग्र रूप में पढ़ा जाए, तो इससे यह प्रकट होता है कि कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि उन्होंने यह कहा कि अभि. सा. 2 ने शिकायत रजिस्ट्रीकृत होने के समय नामों को प्रकट किया था और उसके पश्चात् उसने कोई प्रकटीकरण नहीं किया था या उसके पास तारीख 19 दिसंबर, 2006 तक किसी व्यक्ति को उस समय तक घटना के बारे में बताने का कोई अवसर नहीं था, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस द्वारा उसका कथन अभिलिखित किया गया था ।

18. दोनों पक्षों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने और प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हमारे द्वारा गहराई से विचार करने पर, हमारा यह मत है कि इससे पूर्व कि हम मामले में अपने विश्लेषण को अग्रसर करें, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 11, जिनके साक्ष्य पर निचले न्यायालयों ने अत्यधिक अवलंब लिया है, के कथनों का अवलोकन करना उचित होगा ।

19. अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि घटना तारीख 10 दिसंबर, 2006 को लगभग 10.20 से 10.30 बजे अपराह्न में सेंट पायस लेन के निकट उस समय घटी थी, जब वह और उसका भाई उत्तम गीते के कार्यालय से लौट रहे थे । उसने यह कथन किया कि उस समय उन पर सुनील चंदनशिवा (अभियुक्त सं. 1) ने छुरी से, अनिल गाडेकर (अभियुक्त सं. 6) ने तलवार से, विष्णु बुले (अभियुक्त सं. 5) ने दंराती से, उनके साथ उनकी पुरानी दुश्मनी के कारण, आक्रमण किया था । घटनास्थल पर मौजूद अन्य अभियुक्त संदीप भोसले (अभियुक्त सं. 4), लतेश कार्लेकर (अभियुक्त सं. 3) और विजय रामदुलारे निर्मल **उर्फ** इस्त्रीवाला (अभियुक्त सं. 2) थे । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त विष्णु बुले, अनिल गाडेकर और संदीप भोसले ने उसकी दाईं कलाई पर, आंखों के पास और उदर पर प्रहार किए थे, जबकि अभियुक्त लतेश, विजय और सुनील ने उसके भाई के सिर और हाथों पर हमला किया था । उनकी "सहायता करो, सहायता करो" (बचाओ, बचाओ) की चिल्लाने की आवाज सुनकर दो पुलिस अधिकारी उनकी ओर आए और सुनील (अभियुक्त सं. 1) को, जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, पकड़ लिया । उनकी सहायता से उसे (अभि. सा. 2) और उसके भाई को मुलंद सामान्य अस्पताल ले जाया गया । तत्पश्चात्, दो व्यक्ति अर्थात्

किशोर पोतदार और जगदीश शेट्टी पुलिस अधिकारियों के साथ गए । उसके पश्चात्, अभि. सा. 2 को अतिरिक्त उपचार के लिए सियोन अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसने पुलिस अधिकारी जोशी (अभि. सा. 24) को ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में घटना का वर्णन किया । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श 23 (शिकायत) और इसकी अंतर्वस्तुएं सत्य हैं ।

अभियुक्त सं. 2 और 3 की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि :–

> "मैंने पुलिस को बताया कि सभी अभियुक्त व्यक्ति सेंट पायस लेन, मुलंद में मुझे और मेरे भाई को पीटने के लिए आए थे । तथापि, मैं कोई कारण नहीं दे सकता कि पुलिस ने क्यों उक्त तथ्य को मेरी शिकायत में अभिलिखित नहीं किया । प्रदर्श 23 पर मेरी शिकायत अभिलिखित करते समय, मैंने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त सं. 1 छुरी से, अभियुक्त सं. 6 अनिल गाडेकर तलवार से और अभियुक्त सं. 5 दरांती से लैस था । तथापि, मैं कोई कारण नहीं दे सकता कि पुलिस द्वारा प्रदर्श 23 पर मेरी शिकायत में उपरोक्त उक्त तथ्य को विनिर्दिष्ट रूप से क्यों प्रकट नहीं किया गया है । मेरा कथन अभिलिखित करने के समय मैंने पुलिस को यह नहीं बताया था कि अभियुक्त विष्णु, अनिल और संदीप ने मेरे दाएं घुटने, मेरी आंखों के पास और उदर पर हमला किया था । मेरी शिकायत अभिलिखित करते समय मैंने पुलिस को यह नहीं बताया था कि अभियुक्त सुनील, लतेश और विजय ने मेरे भाई पर उसकी टांग और हाथों पर हमला किया था । मेरी शिकायत प्रदर्श 23 पर दर्ज करते समय मैंने पुलिस को यह नहीं बताया था कि घटना के दौरान, मैं बचाओ, बचाओ चिल्लाया था । प्रदर्श 23 में रिपोर्ट दर्ज करते समय, मैंने पुलिस को यह नहीं बताया था कि घटना के समय दो पुलिस अधिकारी दौड़ कर घटनास्थल पर आए थे और उन्होंने अभियुक्त सुनील को घटना-स्थल पर आयुध से लैस पकड़ा था । इस साक्षी ने स्वेच्छा से यह कहा कि उसने पुलिस को यह तथ्य अनुपूरक कथन अभिलिखित करते समय बताया था ।"

अभि. सा. 2 ने अभियुक्त सं. 5 की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि :–

"मैं प्रदर्श 23 पर रिपोर्ट दर्ज करते समय पूरे होश में था, मुझे पहुंची क्षतियां किस व्यक्ति द्वारा और किस आयुध से कारित की गई थीं, इसके बारे में मुझे पूरी तरह से जानकारी थी । जब मुझे सियोन अस्पताल में भर्ती किया गया था, तब पुलिस अधिकारियों को मेरी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था । यह सत्य है कि मेरी शिकायत दर्ज करने के पश्चात् तारीख 19 दिसम्बर, 2006 तक मैंने किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को हमलावरों के नाम तथा मुझे और मेरे भाई को क्षतियां पहुंचाने के लिए प्रयुक्त किए गए आयुधों के नाम का प्रकटीकरण नहीं किया था ।"

अभि. सा. 2 ने अभियुक्त सं. 4 की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि :–

"यह कहना सही नहीं है कि मेरे द्वारा प्रदर्श 23 की अंतर्वस्तुओं को पुलिस को बताया गया था और पुलिस द्वारा उक्त अंतर्वस्तुओं को मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था ।"

20. अभि. सा. 11 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया कि वह जून, 2004 से मुलंद पुलिस थाने से संबद्ध था । वह तारीख 10 दिसम्बर, 2006 को 7.15 बजे अपराह्न से घनश्याम पवार के साथ गश्ती मार्शल के रूप में तैनात था । लगभग 10.20 बजे अपराह्न में जब वे जे. एन. रोड से होकर मदन मोहन मालवीय रोड जा रहे थे, उन्हें "बचाओ बचाओ" का शोर सुनाई दिया । संकट की पुकार सुनकर, वे घटनास्थल की ओर दौड़े और देखा कि छह हमलावरों द्वारा छुरी, तलवार, क्योटा और चाकू से दो व्यक्तियों पर हमला किया जा रहा था । जब वह अपनी मोटरसाइकिल से उतरा, तो हमलावर भाग गए किंतु इस साक्षी ने यह कहा कि उसने सुनील चंदनशिवा (अभियुक्त सं. 1) को रक्तरंजित छुरी लिए हुए पकड़ लिया । यद्यपि घनश्याम पवार ने अन्य हमलावरों का पीछा किया किंतु वे भाग गए । उसके पश्चात्, "किशोर पोतदार" नामक एक और व्यक्ति भी सहायता के लिए वहां आया । अस्पताल जाते समय रास्ते में उनके साथ जगननाथन शेट्टी शामिल हो गया और अभि. सा. 11 ने उससे अपने साथ अस्पताल चलने के लिए कहा । लगभग 10.40 बजे अपराह्न में वे मुलंद अस्पताल पहुंचे और लगभग 10.50 बजे अपराह्न में इस साक्षी ने ड्यूटी आफिसर पुलिस निरीक्षक, जोशी को घटना के बारे में सूचित किया और अभियुक्त सुनील चंदनशिवा और रक्तरंजित छुरी की अभिरक्षा घनश्याम पवार को पुलिस थाने ले जाने के लिए सौंपी, जबकि वह अस्पताल में रुका रहा ।

इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने मृतक द्वारा बताए अनुसार हमलावर सुनील काशीनाथ चंदनशिवा, अनिल गाडेकर, विष्णु बुले और संदीप भोसले के नाम अपनी मामला डायरी में लिखे थे । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि आहत जगदीश हिंगेन की मृत्यु 11.23 बजे अपराह्न में हुई थी । उसके पश्चात्, अभि. सा. 11 और घनश्याम पवार अभियुक्त सं. 1 को मुलंद पुलिस थाने लेकर गए । अभियुक्त सं. 4 की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 11 ने यह कथन किया कि :–

> "यह सत्य नहीं है कि मैं यह मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रहा हूं कि क्षतिग्रस्त ने मुझे हमलावरों के नामों का प्रकटीकरण किया था और मैंने उन्हें अपनी पॉकेट डायरी में लिखा था । पुलिस निरीक्षक श्री माणे ने मेरा कथन अभिलिखित करते समय मेरी पॉकेट डायरी अभिगृहीत नहीं की थी ।"

21. जहां तक अन्य साक्षियों का संबंध है, जिन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है, उनमें अभि. सा. 3 से 8 वस्त्रों, रक्त, मिट्टी के नमूनों और आयुधों के अभिग्रहण के पंच साक्षी हैं और उन्होंने अलग-अलग पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है ।

22. डा. तपन भट्टाचारजी (अभि. सा. 17) ने, जो वह डाक्टर है जिसने अभियुक्त सं. 5 (विष्णु मारुति बुले) का परीक्षण किया था, यह कथन किया कि अभियुक्त को दाईं हथेली में दर्द था । तद्नुसार, उसने क्षति-प्रमाणपत्र तैयार किया, जिसे उसके द्वारा न्यायालय में स्वीकार किया गया है । उसने यह भी कथन किया है कि विष्णु के शरीर पर क्षति साधारण प्रकृति की थी । तथापि, इस साक्षी द्वारा न्यायालय में विष्णु की शनाख्त नहीं की गई ।

23. डा. सुनील मोहनराव जावले (अभि. सा. 18) ने, जो वह डाक्टर है जिसने मृतक के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी, यह कथन किया कि मृतक को 27 क्षतियां पहुंची थीं । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि क्षति सं. 1 से 5 उसके सिर पर पहुंची थीं । उसने यह भी कथन किया कि मृत्यु कारित होने का कारण बहु क्षतियों की वजह से अत्यधिक रक्त बह जाना था क्योंकि क्षति सं. 6 और 7 के सिवाय सभी क्षतियां रक्तस्राव क्षतियां थीं । ऐसी क्षतियां मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं और यदि उन क्षतियों से कारित व्यक्ति को 5-10 मिनट के अंदर-अंदर तुरंत उपचार नहीं दिया जाता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है ।

24. अमरनाथ मुनोली (अभि. सा. 19) ने यह कथन किया है कि उसने क्षतिग्रस्त विट्ठल हिंगेन (अभि. सा. 2) का परीक्षण किया था और पुलिस अधिकारियों को यह सूचित किया था कि वह कथन करने के लिए उपयुक्त मानसिक हालत में है और एक पृष्ठांकन भी किया था । इस साक्षी ने उस पृष्ठांकन की पहचान की और उस पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि जब क्षतिग्रस्त द्वारा ऐसा कथन किया गया था तब वह रोगी के पास नहीं था ।

25. डा. सूरज कुमार अग्रवाल (अभि. सा. 20) ने यह कथन किया कि उसने क्षतिग्रस्त विट्ठल हिंगेन (अभि. सा. 2) की शल्य-क्रिया की थी । कथन (प्रदर्श 23) उसकी मौजदूगी में किया गया था और उसके द्वारा इसका भी पृष्ठांकन किया गया था । उक्त साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि प्रदर्श 23 और 69 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं (उसने ऐसे कथन पर पृष्ठांकन नहीं किया था और इसे ऊपर यथा उल्लिखित साक्षी द्वारा पृष्ठांकित किया गया था) ।

26. दिलीप बापूराव थोरट (अभि. सा. 21) ने अभियुक्त संदीप भोसले को गिरफ्तार किया था और उसका गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था तथा उसने न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त भी की । इस साक्षी ने तारीख 13 दिसम्बर, 2006 को अभियुक्त विष्णु बुले (अभियुक्त सं. 5) और अनिल गाडेकर को भी पकड़ा और उनके वस्त्र अभिगृहीत किए तथा पंचनामा तैयार किया था ।

27. सुसंगत समय पर, श्रीकांत किशनजी रामदास (अभि. सा. 22) मुलंद पुलिस थाने में पुलिस उप-निरीक्षक की ड्यूटी पर था, जहां अभियुक्त सुनील (अभियुक्त सं. 1) को अभिरक्षा में लाया गया था, पंचनामा बनाया गया था और वस्त्र अभिगृहीत किए गए थे । इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसने अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार किया था और थाना डायरी में इसकी प्रविष्टि की थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस कांस्टेबल, लाडसे (अभि. सा. 11) ने उसके समक्ष अभियुक्त और छुरी पेश की थी ।

28. डा. अनिरुद्ध गोखले (अभि. सा. 23) सियोन अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी है । उक्त साक्षी ने यह कथन किया कि उसने यह पृष्ठांकन किया था कि विट्ठल कथन करने के लिए उपयुक्त मानसिक हालत में है ।

29. मधुसूदन मलहार जोशी (अभि. सा. 24) ने यह कथन किया कि

घटना के बारे में जानकारी मिलने के पश्चात् वह पुलिस कांस्टेबल, लाडसे के साथ मुलंद सामान्य अस्पताल के लिए रवाना हुआ था । उसने यह कथन किया कि वहां दो क्षतिग्रस्त व्यक्ति मौजूद थे । इसके पश्चात्, इस साक्षी ने यह कथन किया कि क्षतिग्रस्त विट्ठल को उपचार के लिए सियोन अस्पताल ले जाया गया था । इसके पश्चात्, इस साक्षी ने यह कथन किया कि डाक्टर की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् विट्ठल का कथन अभिलिखित किया गया था और कथन करने के लिए उसकी उपयुक्त मानसिक हालत की बाबत पृष्ठांकन किया गया था । इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि घटना की बाबत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर भेजी गई थी ।

30. अनंत माणा (अभि. सा. 25) पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा है । उसने यह कथन किया कि उसे पुलिस निरीक्षक, जोशी द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया था और उसने सियोन अस्पताल में सुनील नामक एक अभियुक्त को देखा था और अभि. सा. 11 द्वारा उसे अन्य हमलावरों के नाम सूचित किए गए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसकी मौजूदगी में एक अभियुक्त अनिल ने स्वेच्छया कथन किया था और उसके बताने पर अपराध में प्रयुक्त आयुध की बरामदगी की गई थी । उसने यह कथन किया कि चूंकि आहत, विजय को जानता था, इसलिए उसने शनाख्त परेड संचालित करने की आवश्यकता नहीं समझी । उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया कि अभियुक्त सं. 2 और 3 को मिथ्या मामले में नहीं फंसाया गया है ।

31. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, हम अभियुक्तों की ओर से दी गई कई दलीलों पर विचार करना चाहेंगे । अभियुक्तों की ओर से विनिर्दिष्ट रूप से यह दलील दी गई है कि अभि. सा. 2 ने प्रारंभिक कथन में विनिर्दिष्ट रूप से अभियुक्तों के नाम प्रकटित नहीं किए थे और न ही अभियुक्तों की अलग-अलग भूमिका का उल्लेख किया था, जबकि अभि. सा. 2 का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त एक-दूसरे की जान-पहचान वाले हैं । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 ने अभियुक्तों के नाम का प्रकटन घटना के कुछ दिनों के पश्चात् एक अनुपूरक कथन द्वारा अभियुक्तों को पूर्व दुश्मनी के कारण फंसाने के आशय से किया था । इस विशिष्ट दलील का मूल्यांकन करने के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के भाग को (अनुदित) उद्धृत करना उचित होगा :–

"तथ्य यह है कि उल्लिखित तारीख, समय और स्थान पर इसमें

वर्णित सभी छह अभियुक्त व्यक्तियों ने अवैध जमाव किया, खतरनाक आयुध जैसे चाकू, छुरी, तलवार, दरांती आदि धारण किए, जगदीश नारायण हिंगेन नामक मृतक व्यक्ति, आयु 26 वर्ष, पर प्राणांतक हमला किया और उसकी हत्या कर दी । इसी प्रकार, उन्होंने उसके भाई विट्ठल नारायण हिंगेन पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया । इसलिए, उनके विरुद्ध अपराध फाइल किया जाता है ।"

32. इस तथ्य के विषय में कोई विवाद नहीं है कि अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन अभि. सा. 2 और अभि. सा. 11 के साक्ष्य पर निर्भर करता है, जोकि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । स्वीकृततः, अभि. सा. 2 के कथन के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी और उसने प्रारंभ में अभियुक्तों के नाम प्रकटित नहीं किए थे । उसने बाद में एक अनुपूरक कथन में घटना के ब्यौरों का वर्णन किया था ।

33. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का महत्व प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है । जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी को कोई कथन करता है, तो उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जाती है । बातों को दोहराने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग होती है । कुछ लोगों में बातों को हू-ब-हू दोहराने का सामर्थ्य हो सकता है, कुछ में ऐसा करने के सामर्थ्य की कमी हो सकती है । कभी-कभी सदमे की दशा में, वे महत्वपूर्ण ब्यौरों को बताने में चूक कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का जब किसी हिंसात्मक कृत्य से सामना होता है तो भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रवृत्त होते हैं । केवल इस कारण कि अभियुक्तों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उनके नाम विनिर्दिष्ट नहीं हैं, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है और इस आधार पर अभियोजन के पक्षकथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । किसी का भी यह पक्षकथन नहीं है कि अभि. सा. 2 क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था और हमलावरों द्वारा कारित क्षतियों के कारण कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था और उसने अपने भाई को भी खो दिया था । यह अत्यधिक अधिसंभाव्यता है कि उसने शिकायत रजिस्ट्रीकृत करने के प्रयोजन के लिए एक साधारण कथन किया होगा, जिसे पुलिस द्वारा घटना घटने के कुछ घंटों के पश्चात् ही अभिलिखित किया गया था । बाद में, जब एक बार वह सदमे से बाहर आ गया, तो उसका अनुपूरक कथन अभिलिखित किया गया था और तब उसने अभियुक्तों के नाम प्रकट किए

थे और प्रत्येक अभियुक्त को उसके प्रत्यक्ष कृत्य से संबद्ध किया था । यह स्थिर विधि है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को एक विश्वकोश होने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें उन छोटे-छोटे ब्यौरों और दृष्टांतों को प्रस्तुत किया जाए कि अपराध कैसे किया गया था । इसलिए, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए हम अभियुक्तों की ओर से दी गई दलील में बल नहीं पाते हैं और इसे दोनों न्यायालयों द्वारा ठीक ही नामंजूर किया गया है ।

34. अभियुक्तों की ओर से विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कोई शनाख्त परीक्षण परेड नहीं की गई थी और अभि. सा. 2 ने पहली बार न्यायालय में अभियुक्तों की शनाख्त की थी और यह बात अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है । अभि. सा. 2 के साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त उसकी जान-पहचान के हैं और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् अभि. सा. 11 ने कभी यह कथन नहीं किया कि उसने हमलावरों के चेहरे देखे थे । शनाख्त परीक्षण परेड आयोजित करने की आवश्यकता केवल तब उद्भूत होती है जब अभियुक्त एक-दूसरे के पहले से जानने वाले न हों । शनाख्त परीक्षण परेड एक सारभूत साक्ष्य नहीं है, अपितु अन्य साक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए उपयोगी होती है । यह एक प्रज्ञा का नियम है । शनाख्त परीक्षण परेड को, भले ही आयोजित किया गया हो, सभी मामलों में ऐसे विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जा सकता है, जिसके आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सके । प्रस्तुत मामले में, शनाख्त परीक्षण परेड के अभाव में अभियोजन का पक्षकथन दूषित नहीं हो जाएगा क्योंकि अभियुक्त और अभि. सा. 2 एक-दूसरे को जानते थे ।

35. हम पहले अभियुक्त सं. 2 और 3 के मामले पर और इसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1, 5 और 6 के मामले पर विचार करना चाहेंगे । विवाद्यक जो विचार करने के लिए उत्पन्न होता है, यह है कि क्या निचले न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करके ठीक किया है, क्या अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के दोष को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है ? हमें इस तथ्य का भान है कि जो स्वर्णिम सूत्र हमारे दांडिक न्यायशास्त्र में आद्योपांत प्रचलित है, वह "युक्तियुक्त संदेह के परे" का मानदंड है, विशिष्ट रूप से, इस मामले में, जहां कतिपय साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर नहीं लाया गया है ।

36. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि मृतक ने सुनील काशीनाथ चंदनशिवा (अभि.-1), अनिल गाडेकर (अभि.-6), विष्णु बुले (अभि.-5) और

संदीप भोसले (अभि.-4) के नाम हमलावरों के रूप में लेते हुए अभि. सा. 11 को कथन किया था । इस विशिष्ट कथन को अभियोजन साक्ष्य का भाग नहीं बनाया गया था । यहां तक कि अभि. सा. 11 को किए गए उसके कथन में अभियुक्त सं. 2 और 3 के नाम का भी उल्लेख नहीं है । राज्य द्वारा यह आक्षेप किया गया है कि न्यायालय को ऐसे साक्ष्य को विचार में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसे कथन का विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है । हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि इस दस्तावेज को स्पष्ट तौर पर छिपाया गया है क्योंकि राज्य वह कारण स्पष्ट करने में असफल रहा है कि क्यों ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका था । यद्यपि मामला डायरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं गई थी, किंतु ऐसा दस्तावेज विद्यमान होने की संभाव्यता का समर्थन अभि. सा. 11 के साक्ष्य द्वारा किया गया है, जिससे हमारे मस्तिष्क में अभियुक्त सं. 2 और 3 को फंसाने के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है ।

37. अभि. सा. 11 के साक्ष्य, मृतक के कथन, इस तथ्य को कि अभियुक्त सं. 2 और 3 से आयुध बरामद नहीं हुए थे, इन अभियुक्तों के वस्त्रों पर कोई रक्त के धब्बे नहीं पाए गए थे और साथ-ही-साथ घटना के तुरंत पश्चात् अभियुक्त सं. 2 और 3 की गिरफ्तारी और उनकी पुलिस थाने में मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए, इन अभियुक्तों की अंतर्ग्रस्तता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है । अभियुक्त सं. 3 का यह भी पक्षकथन है कि अभि. सा. 2 को पूर्व में एक मामले में उनके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया गया था ।

38. विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अभियुक्त सं. 2 और 3 को दोषी पाया है । उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को उद्धृत करना आवश्यक है :–

> "हमारी सुविचारित राय में, इस दलील को अभिलेख पर अभि. सा. 2, विट्ठल के जबरदस्त परिसाक्ष्य को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिसने अपने और भाई पर अभियुक्तों द्वारा अपने हाथों में लिए हुए आयुधों से हमला करने के बारे में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है । तुरंत दर्ज कराई गई शिकायत में भी उनके नाम का उल्लेख है । अभिलेख पर के साक्ष्य से भी साबित होता है कि सभी अभियुक्त साथ-साथ घटनास्थल पर आए और अभि. सा. 2, विट्ठल और उसके भाई जगदीश दोनों पर एक-साथ हमला करना आरंभ कर

दिया । अतः, मृतक जगदीश मानसिक आघात और गंभीर हालत में था, केवल उसी कारण उसने अभि. सा. 11 को वह मौखिक मृत्युकालीन कथन किया था । केवल इस कारण कि उसने इन दोनों अभियुक्तों द्वारा कारित किए गए विनिर्दिष्ट स्पष्ट-कृत्य के बारे में उल्लेख नहीं किया था, उन्हें संदेह का फायदा देने के लिए उनके मामले में भेद नहीं किया जा सकता है । उनकी घटनास्थल पर मौजूदगी और उनकी हमला करने में सह-अपराधिता को साबित किया गया ठहराया जाना आवश्यक है ।"

39. इस पहलू पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को भी उद्धृत करना सुसंगत है :–

"अभिलेख पर लाए गए तथ्यों और साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने जगदीश हिंगेन और विट्ठल हिंगेन की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य के साथ एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया और सुसंगत तारीख और समय पर आक्रामक आयुधों से उन पर आक्रमण किया और उन्हें गंभीर शारीरिक क्षतियां कारित की, जिसके परिणामस्वरूप जगदीश नारायण हिंगेन की मृत्यु हुई । विट्ठल हिंगेन के साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त सुनील चंदनशिवा, लतेश कार्लेकर और विजय निर्मल **उर्फ** इस्त्रीवाला ने जगदीश हिंगेन पर हमला किया था और इसलिए वे उसकी मृत्यु के कर्ता हैं । इसी प्रकार, अभियुक्त संदीप भोसले, विशाल बुले और अनिल गाडेकर ने विट्ठल हिंगेन पर हमला किया था और उसके शरीर के मार्मिक अंगों पर घोंपने के घाव और गंभीर शारीरिक क्षतियां कारित की थीं और इस प्रकार मुझे यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित किया है ।"

40. मृतक ने पुलिस को कथन किया था और उक्त कथन को किन कारणों से अभियोजन के साक्ष्य का भाग नहीं बनाया गया, इसकी सर्वोत्तम जानकारी उन्हीं को है । मृतक ने उक्त कथन में अभियुक्त सं. 2 और 3 के नाम नहीं लिए थे, दूसरी बात यह कि अभि. सा. 2 ने अनुपूरक कथन में उनके नाम बताए थे, किंतु उसने उनके द्वारा प्रयुक्त किसी आयुध के साथ विनिर्दिष्ट रूप से उन्हें संबद्ध नहीं किया है । अभि. सा. 11 ने अभियुक्त सं. 2 और 3 को किसी स्पष्ट-कृत्य के लिए भी उत्तरदायी नहीं ठहराया है । अन्वेषण के दौरान, अभि. सा. 2 और 3 के वस्त्रों को विशेषज्ञ की राय के लिए भेजा गया था और इससे यह प्रकट हुआ कि वस्त्रों पर

रक्त के कोई धब्बे नहीं थे । उनसे कोई आयुध बरामद नहीं किया गया था । अभि. सा. 2 के मौखिक साक्ष्य के सिवाय अभियुक्त सं. 2 और 3 को अपराध से जोड़ने के लिए अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है । स्वतंत्र संपुष्टि के बिना अभि. सा. 2 के मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है । दोनों न्यायालयों ने किसी ऐसे साक्ष्य के बिना, जो इन अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे इंगित करता हो, इन्हें दोषी ठहराकर गलत किया है । अभियोजन पक्ष को अभियुक्त की दोषिता को सभी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना चाहिए । अभियुक्त का यह परम अधिकार है कि उसे ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया जाए, जिसे युक्तियुक्त संदेह के परे वाले सबूत के साक्ष्यिक मानदंड द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । विधि अभियुक्त को संदेह या अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर दोषसिद्ध करने के लिए अनुज्ञा नहीं देती है ।

41. हमारी राय में, कुशाग्र बुद्धि किसी बात पर भी संदेह व्यक्त कर सकती है और दूसरी ओर, ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह भरोसा न दिला सकती हो । जब आप तथ्यों पर विचार करें, तो आपको युक्तियुक्त संदेह हो कि मामला साबित हुआ है नहीं या इस अर्थ में क्या यह युक्तियुक्त संदेह है या नहीं । किसी संदेह की युक्तियुक्तता अवश्य ही व्यवहार्य होनी चाहिए और अमूर्त सैद्धांतिक परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए । युक्तियुक्तता एक सद्गुण है जो अत्यधिक सावधानी और अत्यधिक उदासीनता के बीच एक साधन का गठन करती है ।

42. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त सं. 2 और 3 के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है ।

43. अन्य अभियुक्तों से संबद्ध भूमिका पर आते हैं । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त विष्णु बुले (अभि.-5), अनिल गाडेकर (अभि.-6) और संदीप भोसले (अभि.-4) ने उसकी दाईं कलाई, उसके आंख के पास और उदर पर हमला किया था, जबकि अभियुक्त सुनील काशीनाथ चंदनशिवा (अभि.-1), लतेश (अभि.-3) और विजय **उर्फ** इस्त्रीवाला (अभि.-2) ने उसके भाई पर उसके सिर और हाथों पर हमला किया था । यह स्थिर विधि है कि मौखिक साक्ष्य की तब तक चिकित्सीय साक्ष्य पर पूर्विकता बनी रहती है जब तक कि चिकित्सीय साक्ष्य से ऐसी घटना की किसी संभाव्यता का पूरी तरह खंडन नहीं कर दिया जाता है ।

[**राकेश और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1], **काथी भरत वाजसुर और एक अन्य** बनाम **गुजरात राज्य**[2] और **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **हरि चंद**[3] वाले मामले देंखे ।] साक्ष्य की अनुरूपता को सिद्ध करने के लिए तथा निष्कर्ष को और अधिक पुष्ट करने के लिए, हम चिकित्सीय परीक्षण के दौरान मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियों का अवलोकन कर सकते हैं । क्षति सं. 1 (टांके लगा हुआ घाव), क्षति सं. 2 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 3 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 4 (विदीर्ण घाव) और क्षति सं. 5 (विदीर्ण घाव) सिर पर मौजूद हैं । जबकि क्षति सं. 7 (नील), क्षति सं. 8 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 9 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 10 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 11 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 12 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 13 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 18 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 19 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 21 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 22 (विदीर्ण घाव), क्षति सं. 23 (विदीर्ण घाव) और क्षति सं. 24 (कटा हुआ घाव) मृतक पर कारित की गई पाई गईं थीं । हमने यह पाया है कि अभि. सा. 2 द्वारा अभियुक्तों पर आरोपित की गई क्षतियां किसी धारदार आयुध से पहुंचाई जा सकती हैं । अभि. सा. 18 (डा. सुनील मोहनराव जावले) ने भी यह राय व्यक्त की है कि "मृत्यु खोपड़ी की हड्डियों के अस्थिभंग के रूप में सिर पर क्षति के साथ-साथ अंतःकपालीय रक्तस्राव और घोंपने के घावों तथा बहु विदीर्ण घावों (अस्वाभाविक) की वजह से पहुंचे सदमे के कारण हुई थी" । तथ्य यह है कि अभियुक्त सं. 1 छुरी (धारदार आयुध) सहित रंगे-हाथों पकड़ा गया था, जिसकी संपुष्टि गिरफ्तारी, आयुधों और वस्त्रों की बरामदगी के पंच साक्षी अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य के साथ-साथ विशेषज्ञ साक्ष्य से भी होती है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने निश्चयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त सं. 1 की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सफलतापूर्वक साबित किया है ।

44. अभियुक्त सं. 5 और 6 की अंतर्ग्रस्तता पर आते हैं । वे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा मृतक द्वारा किए गए अभिकथित मौखिक मृत्युकालिक कथन में नामित हैं । आयुधों की बरामदगी से भी इनके मामले का समर्थन होता है और अभियोजन साक्षियों के कथन संगत हैं, जो अभियुक्तों की दोषिता को इंगित करते हैं । इन अभियुक्तों की ओर से काउंसेलों ने यह

---

[1] (2011) 9 एस. सी. सी. 698.

[2] (2012) 5 एस. सी. सी. 724.

[3] (2009) 13 एस. सी. सी. 542.

निवेदन करने की कोशिश की कि अभि. सा. 2 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसके कथन और न्यायालय के समक्ष उसके साक्ष्य में विरोधाभास हैं । उन्होंने यह निवेदन किया कि अभि. सा. 2 ने घटना के दिन अभियुक्तों की अलग-अलग भूमिका का उल्लेख नहीं किया था । डाक्टर के साक्ष्य और मृतक को पहुंची क्षतियों से स्पष्ट तौर पर अभियुक्त सं. 5 और 6 की दोषिता सिद्ध होती है तथा, जैसा कि हमारे द्वारा पहले ही मत व्यक्त किया गया है, मात्र किसी अभियुक्त के विशिष्ट स्पष्ट-कृत्य का उल्लेख न करना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा । प्रत्येक दांडिक विचारण में, घटना की तारीख और न्यायालय के समक्ष साक्षियों के अभिसाक्ष्यों के बीच लंबी अवधि बीतने के कारण, प्रसामान्यतः, फर्कों का आना लाजिमी है । जब विरोधाभास बहुत गंभीर हों और कथन की सत्यता के बारे में न्यायालय के मस्तिष्क में संदेह पैदा करते हों, तब ऐसे साक्ष्य का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है । हमारा यह विचार है कि इस मामले से संबंधित साक्ष्य में विरोधाभास बहुत ही तुच्छ प्रकृति के हैं और इनसे अभियोजन के पक्षकथन पर असर नहीं पड़ेगा ।

45. अभि. सा. 2 को कारित क्षतियों का अवलोकन करते हैं । क्षति प्रमाणपत्र (प्रदर्श सं. 20) से यह देखा जा सकता है कि क्षति सं. 1 (माथे पर विदीर्ण घाव), दूसरी क्षति (दाएं प्रबाहु पर विदीर्ण घाव) और तीसरी क्षति (दाएं जठर पर विदीर्ण घाव के साथ वपाजाल बाहर की ओर आया हुआ है) । ऊपर उल्लिखित सभी परिस्थितियों के साथ-साथ साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन के पक्षकथन से स्पष्ट तौर पर अभियुक्त सं. 5 और 6 की अंतर्ग्रस्तता और दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होती है ।

46. अंत में, अभियुक्त सं. 1 की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल ने यह दलील दी कि घनश्याम पवार की परीक्षा न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है । हम इस दलील से सहमत नहीं हैं क्योंकि अभियोजन पक्ष को किसी साक्षी को अपनी प्रज्ञा के आधार पर पेश करने का विवेकाधिकार है । इस मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियुक्त सं. 1 की गिरफ्तारी और आयुध के अभिग्रहण के तथ्य को अभि. सा. 11 द्वारा और अभिलेख के अन्य साक्ष्य से निश्चायक रूप से सिद्ध किया गया है । इसलिए, हमारी यह सुविचारित राय है कि पूर्वोक्त दलील भी गुणता-रहित है ।

47. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सहमति है कि अभियुक्त सं. 2 और 3 के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं किया गया है, जबकि यह बात अन्य अभियुक्तों की बाबत नहीं कही जा सकती है, जिनकी भूमिकाएं अभिलेख पर उपलब्ध निश्चयात्मक साक्ष्य से साबित की गईं हैं । इसलिए, अभियुक्त सं. 2 और 3 के विरुद्ध दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हुए, हम अभियुक्त सं. 1 की बाबत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश तथा अभियुक्त सं. 5 और 6 की बाबत भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखते हैं । तद्नुसार, हम संबंधित प्राधिकारियों को अभियुक्त सं. 2 और 3 को, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरंत रिहा करने का निदेश देते हैं ।

48. इन अपीलों का पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाता है ।

अपीलों का निपटारा किया गया ।

जस.